मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 (18 अग्रहायण, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 109 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 109 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण, विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अन्तर्गत जले या खराब ट्रांसफार्मरों में ऑइल बदलने सम्बन्धी प्रश्न संख्या 5 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आये एवं सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार, श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, श्रीमती शीला त्यागी एवं श्रीमती उषा चौधरी, बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण द्वारा एप्रिन पहनकर, यूरिया एवं खाद की कालाबाजारी संबंधी नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया गया. श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई. अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदर्शन की अनुमति नहीं देते हुए एप्रिन हटाये जाने संबंधी निर्देश दिये गये. बाद में सदस्यों द्वारा एप्रिन हटाये गए.)

2. स्थगन प्रस्ताव

**कटनी नगर में नगरीय निकाय के चुनाव के चलते बहोरीबंद के सदस्य,
कुंवर सौरभ सिंह पर हमले को लेकर स्थगन प्रस्ताव**

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटनी नगर में नगरीय निकाय के चुनाव के चलते बहोरीबंद के सदस्य, कुंवर सौरभ सिंह पर हमले को लेकर स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त 3 सूचनाओं में से श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रथम प्राप्त सूचना को पढ़ा गया. श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री द्वारा इस पर शासन का वक्तव्य दिया गया. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री मुकेश नायक
(2) श्री संजय पाठक

(घटना संबंधी छायाचित्र प्रदर्शित करने पर, आसंदी द्वारा अनुमति नहीं दी गई.)

(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(4) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री विश्वास सारंग

(अपराह्न 1.00 से 2.34 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(7) डॉ. गोविन्द सिंह
(8) श्री शंकरलाल तिवारी
(9) कुंवर सौरभ सिंह

चर्चा के दौरान कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु से हटकर श्री संजय पाठक, सदस्य संबंधी एक टिप्पणी के कारण, सदन में व्यवधान की स्थिति बनी. श्री अजय सिंह सदस्य द्वारा उनकी ओर से सदन में क्षमा याचना की गई किन्तु डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री, श्री संजय पाठक सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यगण द्वारा कुंवर सौरभ सिंह से माफी मांगने की मांग की गई. श्री बाला बच्चन सहित कांग्रेस पक्ष के कुछ सदस्यगण ने भी अपने विचार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यक्तिगत टिप्पणियों को कार्यवाही से विलोपित करने के निर्देश दिये गए.

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह ती ओर बढ़े तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें वापस अपने आसनों पर जाने हेतु निर्देश दिए गए. दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने से सदन में शोरगुल एवं व्यवधान होने के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा 3.14 बजे कार्यवाही 5 मिनिट के लिए स्थगित की जाकर 3.27 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

पक्ष विपक्ष के सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में केवल विषयवस्तु पर तथ्यों को सदन के समक्ष लाया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि - " स्थगन प्रस्ताव के विषय विशेष की ग्राह्यता पर चर्चा चल रही है. कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य अपने कथन पर खेद व्यक्त करें, यह उनके विवेक पर छोड़ना पड़ेगा. माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार जी ने यह विषय उठाया है कि एक पक्ष को बोलने दिया जा रहा है. दूसरे को नहीं ? इस संबंध में यह स्पष्ट करना उचित है कि यहां कोई न्यायालय नहीं है. प्रतिपक्ष द्वारा लाये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, किसी विषय पर फैसला नहीं हो रहा है. कुंवर सौरभ सिंह, इस सदस्य के सम्मानित सदस्य है. इसलिए यदि वे अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं तो उसको हमें सुनना चाहिए. मेरी सदस्यों से यह अपेक्षा है और अनुरोध भी है कि वे अनर्गल बातें न करें, किसी पर असत्य आक्षेप नहीं लगाए, किसी के परिवार के बारे मे कोई बात नहीं बोलें और सही तथ्यों को जो सचमुच सामने आने से यहां पर न्यायपूर्वक निर्णय करने में व्यवस्था हो सके, उसकी ओर ध्यान दें."

4. स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई. स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य किया गया.

5. अध्यक्षीय घोषणा

मेरी कॉम फीचर फिल्म का प्रदर्शन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम विषयक

(1) अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि - माननीय सदस्यों के लिए आज सदन की बैठक समाप्त होने के तत्काल बाद सायं 5.30 बजे विधान सभा के ऑडिटोरियम में मेरी कॉम फीचर फिल्म का प्रदर्शन किया जायेगा. फिल्म समाप्ति के उपरांत सेन्ट्रल हॉल में भोज भी आयोजित है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त दोनों कार्यक्रमों में पधारने का कष्ट करें.

(2) माननीय सदस्यों के लिए आयोजित कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है. कल से यह प्रशिक्षण प्रात: 9.30 के स्थान पर प्रात: 9.15 बजे से प्रारंभ होगा. माननीय सदस्य जिस उत्साह से प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस प्रशिक्षण लाभ लें.

6. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की मुरैना जिले के दिमनी में आंगनवाड़ी व अन्य भवन किराये के भवनों में संचालित होने,
(2) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले में शासकीय अस्पताल में व्यवस्था न होने से प्रसूताओं को परेशानी होने,
(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर के ग्रामों में प्रसूताओं के लिये व्यवस्था न होने,
(4) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की पिपरिया के वनखेड़ी में रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति बाबत्,
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की प्रदेश में बसों के बड़े किराये को कम किये जाने,
(6) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी न दी जाने,
(7) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर के सलापुरा तक नाले के निर्माण में अनियमितता होने,
(8) श्री हर्ष यादव, सदस्य की सागर के बुंदेलखण्ड मेडिकल कालेज का लाभ जनता को न मिलने,
(9) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल नगर निगम द्वारा भवन अनुज्ञा को आनलाईन किये जाने से मनमानी फीस की वसूली होने तथा
(10) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की प्रदेश में बिना अनुमति के मोबाईल टावर लगाये जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 पटल पर रखे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, जनसंपर्क मंत्री ने–

(क) मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14,
(ख) ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-02-2011-तेरह, दिनांक 1 अगस्त, 2014,
(ग) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14,
(घ) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14

पटल पर रखे.

(4) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1-2012-सात-शा-6, दिनांक 10 जुलाई, 2014 पटल पर रखी.

(5) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2007-08 एवं उस पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन पटल पर रखा.

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों हेतु चर्चा का समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014(क्रमांक 18 सन् 2014)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014)	15 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014)	15 मिनिट

4.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक,2014 (क्रमांक 21 सन् 2014)	30 मिनिट
5.	मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014)	30 मिनिट
6.	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 23 सन् 2014)	30 मिनिट
7.	मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 24 सन् 2014)	30 मिनिट
8.	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 25 सन् 2014)	30 मिनिट
9.	मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधयेक, 2014 (क्रमांक 29 सन् 2014)	30 मिनिट
10.	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन)विधेयक, 2014 (क्रमांक 28 सन् 2014)	30 मिनिट
11.	रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 27 सन् 2014)	30 मिनिट
12.	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 30 सन् 2014)	30 मिनिट
13.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 31 सन् 2014)	30 मिनिट
14.	वर्ष 2014-15 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घन्टा 30 मिनिट
15.	संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक,2014 सम्बन्धी संकल्प का अनुसमर्थन	30 मिनिट
16.	प्रदेश में डेंगू, मलेरिया,चिकन गुनिया,स्वाइन फ्लू, टायफाईड आदि संक्रामक बीमारियों के बढ़ते प्रकोप से उत्पन्न स्थिति केसंबंध में डॉ.गोविंद सिंह तथा श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण की नियम 139 के अधीन सूचना.	1 घन्टा 30 मिनिट
17.	मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 के अंतर्गत उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012 पर चर्चा.	1 घन्टा

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने मण्डीदीप स्थित स्पेशिएलिटी आर्गेनिक प्रा.लि. केमिकल उद्योग से गैस रिसाव होने की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य ने दमोह जिले के तेंदूखेड़ा वन परिक्षेत्र अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 124-चौरई से निर्वाचित सदस्य, पं. रमेश दुबे, सदस्य को विधान सभा के दिसम्बर, 2014 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

11. वर्ष 2014-15 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने वर्ष 2014-15 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को 2 घन्टे 30 मिनट का समय नियत किया गया.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री संजय पाठक (जिला-कटनी)
(2) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(3) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)

13. संकल्प

संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन का संकल्प

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"यह सभा अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के दायरे में आने वाले भारत के संविधान के संशोधन, जो कि संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, का अनुसमर्थन करती है."

श्री रामनिवास रावत, सदस्य तथा सुश्री कुसुम सिंह महदेले द्वारा संकल्प पर विचार व्यक्त किए गए.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 23 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री भंवर सिंह शेखावत
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री लाल सिंह आर्य ने चर्चा का उत्तर दिया.

श्री लाल सिंह आर्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 4.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 (19 अग्रहायण, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 9 दिसम्बर, 2014